महत्वपूर्ण/स्थानान्तरण नीति
संख्या- 731/पन्द्रह-2-2024

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 जून, 2024

विषय-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ उप प्रधानाचार्य/ प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में आनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सा0(1)शि0/म0/868-69/2024-25, दिनांक 14.06.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक(पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में आनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए विचार कर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में आनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-720/15-2-2020 दिनांक 01 सितम्बर, 2020 द्वारा किये गये प्राविधानों/रिक्तियों के वर्गीकरण के आधार पर वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में आनलाइन स्थानान्तरण की व्यवस्था निम्नवत् है:-

(क) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण

1. महत्वकांक्षी जनपदों के विद्यालय- श्रेणी-1
2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालय- श्रेणी-2
3. जनपद के पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज - श्रेणी-3
4. राजकीय अभिनव विद्यालय - श्रेणी-4
5. तहसील मुख्यालय या तहसील मुख्यालय से 02 किलोमीटर बाहर के विद्यालय (सदर तहसील को छोड़कर)- श्रेणी-5
6. जिला मुख्यालय से 08 किलोमीटर की दूरी के भीतर के विद्यालय (श्रेणी-7 को छोड़कर)- श्रेणी-6
7. मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज के श्रेणी-6 के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय - श्रेणी-7

उपरोक्त रिक्तियों का वर्गीकरण मानव सम्पदा द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्रदर्शित न होकर केवल जनपद के विषयवार रिक्त पदों के विद्यालयों का नाम ही प्रदर्शित किया जायेगा।

(ख) स्थानान्तरण हेतु आधार/मानक

(1) वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु नियुक्त प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जायेंगे।

-

(2) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका ऑनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली के माध्यम से इच्छित जनपद के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे।

(3) स्थानान्तरण हेतु जनपदवार/विद्यालयवार/विषयवार आनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। जनपद मुख्यालय के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत स्थानांतरण हेतु रिक्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं की जायेगी।

(4) 31 मार्च, 2021 के पश्चात् शिक्षक/शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे।

(5) राजकीय बालिका इण्टर कालेज/राजकीय बालिका हाईस्कूल हेतु केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं।

(6) स्थानान्तरण हेतु इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम 05 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं।

(7) ऐसे राजकीय हाईस्कूल जिनमें अधिकतम 02 सहायक अध्यापक तथा ऐसे राजकीय इण्टर कालेज जिसमें अधिकतम 03 सहायक अध्यापक एवं 02 प्रवक्ता कार्यरत है, उन हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में स्थानातरण हेतु आवेदन स्वीकार किये जायेगे। यह प्रतिबन्ध महत्वाकांक्षी जनपद हेतु लागू नहीं होगा।

(8) ऑनलाइन स्थानान्तरण में वरीयता हेतु निम्न मानक/गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जायेगा:-

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण हेतु आधार तथा मानक/गुणांक:-

क्रम संख्या	मानक का विवरण	निर्धारित गुणांक
1	स्वयं कैंसर/एच०आई०वी०(एडस)/किडनी/लीवर गम्भीर रोग ग्रस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष तथा शिक्षक/शिक्षिका द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, पी०जी०आई०, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	50
2	जिनके पति / पत्नी / बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग / दिव्यांग हैं या कैंसर / एच0आई0वी0 (एड्स) / किडनी / लीवर रोग ग्रस्त शिक्षक/ शिक्षिका द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स, पी०जी०आई० आर०एम०एल०. लखनऊ, राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	50
3	यदि पति/पत्नी नियमित कार्मिक है और राजकोष से वेतन आहरित कर रहा है, को एक ही जनपद/ नगर/ स्थान पर यथासम्भव स्थानान्तरण हेतु वरीयता दी जायेगी। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विद्यालय तथा बेसिक शिक्षा परिषद/ सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के अधीन कार्यरत कार्मिको को भी उक्त मानक के अन्तर्गत उसी तरह गुणांक का लाभ दिया जायेगा (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)	30
4	यदि पति या पत्नी सैनिक/अर्द्धसैनिक/केन्द्रीय सेवा के कार्मिक और प्रदेश में तैनात है और केन्द्र/राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहें है। (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)	30
5	जिनकी आयु 31 मार्च, 2024 को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।	20
6	मंदित बच्चों/चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांक बच्चों के माता-पिता को	20

	(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)	

(9) ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु एक ही पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को स्थानान्तरण में वरीयता दी जायेगी।

(10) एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी।

(11) प्रत्येक हाईस्कूल में कम से कम 02 सहायक अध्यापक तथा इण्टर कालेज में 02 प्रवक्ता तथा 03 सहायक अध्यापको का होना अनिवार्य होगा, इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षक/शिक्षिका का आवेदनपत्र अग्रसारित किया जायेगा।

(12) किसी शिक्षक/शिक्षिका का आवेदन तभी अग्रसारित किया जायेगा जब विगत 03 वर्षो का औसत परीक्षाफल 60 प्रतिशत से ऊपर होगा, परन्तु वह शिक्षक यदि आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जनपद, बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद अथवा प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में आवेदन करता है तथा वह स्थानान्तरण के लिये बताये गये समस्त 05 विद्यालयों का विकल्प उपरोक्त जनपदों/विकास खण्डों से रखता है तो उसके ऊपर यह शर्त लागू नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त यदि वह बिन्दु संख्या-(9) के कमांक-1 से क्रमांक-2 तक वर्णित मानक की श्रेणी मे है तो उसे उक्त 60 प्रतिशत के परीक्षाफल के प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा।

(13) यदि आवेदक एक से अधिक है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।

(14) आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों तथा आवेदक द्वारा वरीयता का लाभ प्राप्त करने हेतु चुने गये मानकों हेतु लगाये गये प्रमाण-पत्रों का सत्यापन इस शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार किया जायेगा । आवेदन पत्र सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यवाही संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी। स्थानान्तरण आवेदन के सत्यापन/अग्रसारण में प्रधानाचार्य/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता बरते जाने (गलत सत्यपान/अग्रसारण) का तथ्य प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अग्रसारण की शर्तों के अनुपालन की जांच में उपयोग किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखेगें ।

(15) ऐसे विद्यालय जहाँ किसी विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं तथा उसी विषय में एक पद के अतिरिक्त अन्य पद रिक्त है तो ऐसे विद्यालयों में उसी विषय की शेष रिक्तियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा/स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(16) संवर्गवार, कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जायेंगे।

(17) प्रवक्ता /सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) संवर्ग में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका अपने संवर्ग एवं विषय के शिक्षक/शिक्षिका से आपसी स्थानान्तरण हेतु आफलाइन आवेदन कर सकते है। ऐसे स्थानान्तरण बिन्दु-4 में प्रतिबन्धित अवधि से आच्छादित नहीं होगें और ऐसे स्थानान्तरण बिन्दु-22 में निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा में भी आगणित नहीं किये जायेगें। पारस्परिक स्थानान्तरण मान0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्तकर नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष के स्तर से 30 जून, 2024 तक निर्गत किये जायेगें।

(18) कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन के दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-11/2022/ 363-सामान्य/सैंतालिस-का-4-2022-1/3/96 में कम-4 के खण्ड (पअ) मे उल्लिखित भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जनपद यथा चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व ब हराइच, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपद एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में दी गयी व्यवस्थानुसार विभाग द्वारा यथासम्भव समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा, एवं 02 वर्ष बाद वहाँ तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।

(19) स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया 30 जून, 2024 तक पूर्ण की जायेगी, जिससे विद्यालय प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकें।

(20) अपरिहार्य स्थिति/प्रशासनिक आधार/जनहित में कार्यरत संवर्ग के 04 प्रतिशत की सीमा तक माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा किसी भी प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के आवेदनों पर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

कृपया तद्नुसार आनलाइन स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी निर्गत करते हुए अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Umesh Chandra
Date: 21-06-2024 17:15:17

(उमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उ0प्र0, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित है कि राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तृतीय तल, योजना भवन से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए तत्काल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तृतीय तल योजना भवन को इस आशय से प्रेषित है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन स्थानान्तरण की प्रक्रिया को ससमय पूर्ण कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
3. अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय/माध्यमिक, उ0प्र0 प्रयागराज,
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0, (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।